वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी०पी०आर० के तहत राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अन्तर्गत पपीता विकास योजना का कार्यान्वयन अनुदेश।

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी०पी०आर० के तहत राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अन्तर्गत पपीता विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 कुल दो वर्षों के लिए कुल 157.50 लाख (एक करोड़ सनतावन लाख पचास हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में 118.125 लाख (एक करोड़ अठारह लाख बारह हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति, स्वीकृत्यादेश सं०–30 दिनांक 15.03.2024 द्वारा प्राप्त है। इस योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची 1 एवं 2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में की जायेगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पपीता के बाग के रकवा को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के आमदनी में वृद्धि करना है।

इस योजनान्तर्गत दो अवयव स्वीकृत है, जिसके कार्यान्वयन से संबंधित संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है :–

1. **वित्तीय वर्ष 2024–25 में पपीता का क्षेत्र विस्तारः–** इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा। इस घटक अंतर्गत पपीता क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) की मार्गदर्शिका के सदृश्य 60,000.00 (साठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत स्वीकृत है। MIDH (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार पपीता के क्षेत्र विस्तार हेतु अनुशंसित 2500 पौधा प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इस प्रकार राज्य में 350 हे0 में कुल 8,75,000 पौधा लगाया जायेगा।

   सहायतानुदान– अनुदान की राशि इकाई लागत का 75% अर्थात 45,000 (पैतालीस हजार) रूपये देय है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल अनुदान राशि का 75% अर्थात 33,750.00 (तैतीस हजार सात सौ पचास) रूपये प्रति हेक्टेयर चयनित किसानों द्वारा कार्य निष्पादन एवं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र सत्यापन के उपरांत सहायक निदेशक उद्यान द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 350 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 118.12500 लाख (एक करोड़ अठारह लाख बारह हजार पाँच सौ) रूपये स्वीकृत है।

2. **वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 2024–25 में लगाए गए पपीता का 1st Year Maintanance का सहायतानुदान–** वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल अनुदान राशि का 25% अर्थात 11,250.00 (ग्यारह हजार दो सौ पचास) रूपये प्रति हेक्टेयर 75% (1875) पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र सत्यापन के उपरांत सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस

घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 350 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 39.37500 लाख (उनचालीस लाख सैतीस हजार पाँच सौ) रूपये स्वीकृत है।

आवेदन की प्रक्रिया:–

योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाईट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/गैर रैयत हेतु एकरारनामा में से कोई एक दस्तावेज उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया :–

1. लाभुक का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है। उद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. स्वीकृत योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।
4. योजना का लाभ सामान्यतया कृषक परिवार को दिया जायेगा। कृषक परिवार का मतलब पति–पत्नी एवं नाबालिग बच्चा होगा।
5. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा की लाभुक में प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
6. सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में सभी योजनाओं के लाभुक का संबंधित योजनावार योजना पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नामित कर्मी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर करना आवश्यक होगा।

   उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित कर्मी जवाबदेह होंगे।
8. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/स्वीकृति प्राधिकार द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।
9. कार्यादेश में कार्य को पूरा करने का समय एवं अनुदान भुगतान की समय–सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
10. पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली एवं प्लग टाईप नर्सरी, कटिहार तथा भोजपुर के द्वारा किया जायेगा।

11. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का स–समय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेगें।

अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया:–

भुगतान के पूर्व यथा आवश्यक जाँच/ लाभुक एवं सत्यापनकर्त्ता का Geo Tagged Photograph/ सत्यापन कार्य कराते हुए निश्चित समय पर लाभुक को देय अनुदान (DBT in Cash/DBT in kind) का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा, बशर्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

कार्य दायित्व:–

1. **सहायक निदेशक उद्यान–**
   - जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।
   - योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन।
   - प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक को संबंधित प्रखण्ड/पंचायत हेतु स–समय लक्ष्य उपलब्ध करना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति का समीक्षा करना।
   - कार्य निष्पादित अवयवों का बिना किसी विलम्व के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।
   - योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को अवगत कराना। **साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।**
   - CFMS से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार End to end Entry निर्धारित समय सीमा के तहत् सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।
   - दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।
   - जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
2. **प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :–**
   - प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से मिशन मुख्यालय को अवगत कराना।

- योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।
- CFMS से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में Entry की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय–समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।
- प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

3. **नोडल पदाधिकारीः–**
   - योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
   - योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
   - योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति का समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।
   - योजना का समय–समय पर यथावश्यक निरीक्षण करना।
4. **निदेशक, उद्यानः–** मुख्यालय स्तर पर योजना की समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

निदेशक उद्यान,
बिहार